

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 25.06.2025

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं। यह पुनरीक्षण आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और समय-सारणी के अनुसार आयोजित किया जाएगा। इस गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची (Electoral Roll) में सम्मिलित हों ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो और मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।

उल्लेखनीय है कि बिहार में पिछला गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था। वर्तमान में तेज़ी से हो रहा शहरीकरण, लगातार होने वाला प्रवासन, नए युवाओं का 18 वर्ष की आयु पूरी कर मतदाता बनने की पात्रता प्राप्त करना, मृत्यु की जानकारी का समय पर न मिलना तथा अवैध विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाना जैसी स्थितियों के कारण यह गहन पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है ताकि त्रुटिरहित और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके।

इस प्रक्रिया के तहत मतदान केंद्र पदाधिकारी (BLO) घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। पुनरीक्षण के दौरान आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 में उल्लिखित मतदाता के रूप में पंजीकरण की पात्रता और अयोग्यता संबंधी प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करेगा।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 के अंतर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा अब तक अपने स्तर पर पात्रता की जाँच की जाती रही है। अब तकनीक के विकास को देखते हुए, इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए यह आवश्यक किया गया है कि ERO द्वारा संतुष्टि के आधार पर प्राप्त दस्तावेजों को ECINET पोर्टल पर अपलोड किया जाए। हालांकि, इन दस्तावेजों की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए इन्हें केवल अधिकृत निर्वाचन अधिकारियों द्वारा ही देखा जा सकेगा।

यदि किसी राजनीतिक दल अथवा मतदाता द्वारा कोई दावा या आपत्ति दर्ज की जाती है, तो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) संबंधित मामले की जाँच करेंगे और उसके बाद ही ERO अपना निर्णय लेंगे। इसके अतिरिक्त, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत ERO के आदेश के विरुद्ध जिला पदाधिकारी (District Magistrate) तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Chief Electoral Officer) के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।

आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO), जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) एवं बूथ स्तर अधिकारी (BLO) को यह निर्देशित किया है कि वे यह

सुनिश्चित करें कि वास्तविक मतदाताओं, विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांगजन (PwD), गरीब तथा अन्य वंचित वर्गों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान की जाए। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर स्वयंसेवकों की तैनाती भी की जा सकती है।

भारत निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने हेतु हरसंभव प्रयास करेगा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया सुगमता से संपन्न हो और मतदाताओं को कम से कम असुविधा हो। साथ ही, आयोग सभी राजनीतिक दलों से अपील करेगा कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) की नियुक्ति करें। BLAs की सक्रिय भागीदारी से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि यदि कोई विसंगतियाँ या त्रुटियाँ हों, तो उनका समाधान तैयारी के प्रारंभिक चरण में ही कर लिया जाए, जिससे दावे, आपत्तियों और अपीलों की संख्या में कमी लाई जा सके। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मतदाता और राजनीतिक दल, दोनों ही किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण भागीदार होते हैं, और केवल उनकी पूर्ण भागीदारी से ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण और व्यापक प्रक्रिया को सफलता एवं सुचारु रूप से संपन्न किया जा सकता है।

विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित है:-

S. No.	Activity Description	Timeline / Deadline
1	Distribution and Collection of Enumeration Forms- House to House Verification Exercise	25.06.2025 (Wednesday) to 26.07.2025 (Saturday)
2	Rationalization/Re-arrangement of Polling Stations Finalization of proposed restructuring of section/part boundaries, location of polling stations and approval of polling stations (preferably not more than 1,200 electors per station)	25.06.2025 (Wednesday) to 26.07.2025 (Saturday)
3	Updation of Control Table & Draft Roll Preparation	27.07.2025 (Sunday) to 31.07.2025 (Thursday)
4	Publication of Draft Electoral Roll	01.08.2025 (Friday)
5	Period for Filing Claims & Objections	01.08.2025 (Friday) to 01.09.2025 (Monday)
6	Disposal of Forms and Claims & Objections	By 25.09.2025 (Thursday)
7	Finalization Activities	By 27.09.2025 (Saturday)
7(i)	Checking health parameters of the finalized electoral rolls and obtaining Commission's permission for final publication	
7(ii)	Updating database and printing of supplements	
8	Final Publication of Electoral Roll	30.09.2025 (Tuesday)

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश (जन सामान्य की जानकारी हेतु) निम्नवत् है:-

1. घर-घर गणना (House to House Enumeration) से संबंधित प्रक्रिया:

- बी०एल०ओ० प्रत्येक घर जाकर पहले से भरे हुए एन्यूरेशन फॉर्म (दो प्रतियों में) वितरित करेंगे और उन्हें भरने में मतदाताओं का मार्गदर्शन करेंगे।
- बी०एल०ओ० कम से कम तीन बार दोबारा जाकर फॉर्म संग्रह करने का प्रयास करेंगे।
- इच्छुक मतदाता प्री-फिल्ड एन्यूरेशन फॉर्म को **ऑनलाइन डाउनलोड** कर सकते हैं तथा भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।
- हर मतदाता को यह फॉर्म आवश्यक जानकारी व स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ भरकर बी०एल०ओ० को देना होगा।
- बी०एल०ओ० द्वारा फॉर्म जमा करने के बाद, एक प्रति अपने पास रखी जाएगी और दूसरी प्रति पर स्वीकृति की रसीद देकर वह मतदाता को लौटा दी जाएगी।
- ऑनलाइन फॉर्म भरने वालों के दस्तावेजों का सत्यापन भी घर पर होगा। यदि किसी मतदाता ने ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म और दस्तावेज अपलोड किए हैं, तो बीएलओ उनके घर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
- बी०एल०ओ० द्वारा प्राप्त फॉर्म और संलग्न दस्तावेज BLO/ECINet मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे और फिर संबंधित ईआरओ/एईआरओ को रिकॉर्ड हेतु जमा किए जाएंगे।

2. प्रारूप निर्वाचक नामावली (Draft Roll) का प्रकाशन:

- प्रारूप मतदाता सूची में उन्हीं मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे जिन्होंने हाउस-टू-हाउस सर्वे के दौरान फॉर्म जमा किए हैं या जिन्होंने फॉर्म ऑनलाइन जमा करवा दिए हैं और जिन्हें बीएलओ द्वारा सत्यापित किया गया है।
- जिन मतदाताओं ने समय पर फॉर्म नहीं जमा किया, उनके नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे।

3. फॉर्म समय पर जमा न करने वाले मतदाताओं के लिए विकल्प:

- यदि कोई मतदाता समय पर एन्यूरेशन फॉर्म जमा नहीं कर पाता है, तो वह दावा-आपत्ति अवधि के दौरान फॉर्म-6 और घोषणा पत्र (Annexure D) के साथ नाम जोड़ने हेतु आवेदन कर सकता है।

4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- न्यायपालिका के सदस्य, जनप्रतिनिधि, घोषित पद धारक, और कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल व लोक सेवा क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे, ताकि आवश्यक दस्तावेज दावा-आपत्ति के दौरान लिए जा सकें।
- प्रारूप प्रकाशन की सूचना (Form-5) के साथ ही अगले अहर्ता तिथि के लिए (1 अक्टूबर, 2025) अग्रिम आवेदन भी आमंत्रित किए जाएंगे।

5. दावा-आपत्ति अवधि में पात्रता का गंभीर परीक्षण होगा:

- प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद, सभी प्रस्तावित मतदाताओं की पात्रता की जांच अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 व 19 के आधार पर की जाएगी।
- यदि ई०आर०ओ०/ए०ई०आर०ओ० को किसी मतदाता की पात्रता पर संदेह होता है (प्रमाणपत्र की अनुपलब्धता आदि के कारण), तो स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू की जाएगी और संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाएगा।

6. अपील की व्यवस्था उपलब्ध:

- यदि ERO/AERO ने जाँच कर यह पाया कि प्रारूप सूची में शामिल कोई नाम मतदाता बनने के योग्य नहीं है, तो वह नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
- यदि कोई व्यक्ति ERO द्वारा नाम हटाए जाने के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(क) के तहत निर्वाचक पंजीकरण अधिनियम, 1960 के नियम 27 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील कर सकते हैं।
- यदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए निर्णय से कोई मतदाता असहमत होता है, तो वह द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के समक्ष कर सकता है। यह प्रक्रिया निर्वाचक नियमावली, 1960 के नियम 27 के तहत निर्धारित है।

7. निगरानी और जाँच:

- प्रत्येक BLO सुपरवाइजर अपने अधीनस्थ 10 BLO में से प्रत्येक के 10% कार्य का सत्यापन करेंगे।
- ERO नियमित रूप से AERO, BLO सुपरवाइजर और BLO के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो कि कार्य सतही न हो और लापरवाह पदाधिकारियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाए।
- रोल ऑब्जर्वर द्वारा 250 फॉर्म (100 नाम जोड़ने, 100 हटाने, 50 सुधार) की सुपरचेकिंग की जाएगी, जिसमें से कम से कम 50 फॉर्म का फील्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य है।

8. बी०एल०ओ० एवं पदाधिकारियों का प्रशिक्षण:

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के आलोक में नई IT सुविधाओं, मॉड्यूल्स और ऑनलाइन फॉर्म प्रक्रिया की जानकारी हेतु सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बी०एल०ओ०, ई०आर०ओ०, ए०ई०आर०ओ० सहित संबंधित अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी प्रणालियों का प्रशिक्षण सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक कार्यों से जुड़े प्रत्येक पदाधिकारी एवं कर्मी को दिया जायेगा ताकि निर्वाचन कार्यों का ससमय सटीक संपादन किया जा सके।

9. मतदान केंद्र स्थान में बदलाव की प्रक्रिया सख्त होगी:

- किसी भी मतदान केंद्र के स्थान में परिवर्तन का प्रस्ताव तभी भेजा जाएगा जब उस स्थान की 100% भौतिक जाँच पूरी हो जाए और उसका लैटिट्यूड व लॉन्गिट्यूड (अक्षांश और देशांतर) रिकॉर्ड किया जा चुका हो। सभी नए व बदले गए मतदान केंद्रों की जानकारी ECINET डैशबोर्ड पर अपडेट की जाएगी।

- BLO के माध्यम से सभी मतदान केंद्रों की फोटो, स्थान विवरण और लैटिट्यूड/लॉन्गिट्यूड जानकारी ECINET ऐप में अपलोड की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित हो।

10. परिवारवार क्रमबद्धता (Family Grouping):

- मतदाता सूची में एक ही परिवार के सदस्यों को क्रमबद्ध रूप में दर्शाया जाएगा। जहाँ पंचायत या नगरपालिका द्वारा घर संख्या नहीं दी गई है, वहाँ कल्पित (notional) घर संख्या अंकित की जाएगी और स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि यह अनुमानित है। मतदाता सूची में उल्लिखित पता विवरण हूबहू मतदाता पहचान पत्र (EPIC) में भी प्रतिबिंबित किया जाएगा।

11. राजनीतिक दलों के साथ समन्वय:

- SIR कार्यक्रम की घोषणा होते ही, CEO सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें प्रक्रियाओं की जानकारी देंगे और सहयोग का अनुरोध करेंगे।
- इन बैठकों की मिनट्स ऑफ मीटिंग, उपस्थिति एवं हस्ताक्षर रिकॉर्ड में रखे जाएंगे।
- राजनीतिक दलों से हर मतदान केंद्र के लिए बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने का अनुरोध किया जाएगा, जो BLO के साथ पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करेंगे।
- CEO ECINet से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर दावा-आपत्ति के निष्पादन की रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे, ताकि आम नागरिकों को जानकारी मिल सके।
- फॉर्म-6, 6क, 7, और 8 के तहत प्राप्त सभी आवेदन CEO की वेबसाइट पर प्रतिदिन अपडेट किए जाएंगे।
- CEO द्वारा प्रारूप मतदाता सूची, अंतिम मतदाता सूची, तथा दावा-आपत्तियों की सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी और राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी।
- CEO यह सुनिश्चित करेंगे कि SIR का कार्यक्रम मीडिया, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों एवं RWA (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) तक विधिवत रूप से पहुँचाया जाए।
- CEO/DEO/ERO, SIR का कार्यक्रम और दिशा-निर्देश मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पत्र द्वारा भेजेंगे, ताकि उनकी जानकारी और भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
- हर DEO द्वारा इस अवधि में प्रेस नोट जारी किया जाएगा, जिसमें ERO द्वारा राजनीतिक दलों को साप्ताहिक सूची सौंपने की फोटो शामिल होगी।

12. SIR कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार:

- SIR का पूरा कार्यक्रम विवरण के साथ प्रकाशित किया जाएगा।
- राजनीतिक दलों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाएंगी।
- प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें जनता से दावा-आपत्तियाँ दर्ज कराने की अपील की जाएगी।
- मतदाता सूची का प्रारूप एवं अंतिम प्रकाशन होने पर जनता को विज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी जाएगी कि और यदि आवश्यक हो तो अपील कैसे करें, इसकी जानकारी दी जायेगी।

13. मतदान केंद्रों का पुनर्गठन (Rationalization of Polling Stations):

- DEO द्वारा राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर प्रारंभिक मतदान केंद्र सूची पर चर्चा की जाएगी, और इसकी फोटो के साथ प्रेस नोट जारी किया जाएगा।
- आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात, CEO द्वारा अंतिम सूची का समेकित प्रेस नोट जारी किया जाएगा।

14. अंतिम मतदाता सूची का स्वरूप:

- ERO यह सुनिश्चित करेंगे कि अंतिम मतदाता सूची ड्राफ्ट सूची और SIR के दौरान हुए परिवर्तनों का समेकन हो।
- अंतिम मतदाता सूची में SIR के दौरान किए गए सभी जोड़, संशोधन और विलोपन शामिल होंगे।
- संशोधित/हटाई गई प्रविष्टियों को उनके पुराने क्रमांक (SI- No.) के सामने ही अपडेट करके दर्शाया जाएगा।
- अंतिम मतदाता सूची को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा और CEO की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

15. निर्वाचन के दौरान मतदाता सूची का प्रयोग:

- नामांकन की अंतिम तिथि पर प्रत्याशियों को जो मतदाता सूची दी जाएगी, वह एकीकृत और अद्यतन सूची होगी।

16. मतदान केंद्रों का पुनर्गठन (Rationalization):

- प्रत्येक मतदान केंद्र में 1,200 से अधिक मतदाता न हों, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार नए मतदान केंद्र प्रस्तावित किए जा रहे हैं।
- यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी मतदाता को 2 किलोमीटर से अधिक दूरी या प्राकृतिक बाधा पार करके मतदान केंद्र तक न जाना पड़े। शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों, समूह आवास (Group Housing) और झुग्गी बस्तियों में सुविधाजनक स्थानों पर मतदान केंद्र स्थापित करने के लिए व्यापक सर्वे किया जा रहा है।
- सभी प्रस्तावित मतदान केंद्र स्थलों की 100% भौतिक जाँच की जा रही है ताकि भवन सुरक्षित, सुगम और आयोग के मानकों के अनुसार हो।
- राजनीतिक दलों से परामर्श:- नए मतदान केंद्रों के निर्धारण से पूर्व संबंधित राजनीतिक दलों से परामर्श लिया जाएगा ताकि पारदर्शिता और सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
- मतदान केन्द्र पुनर्गठन में भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं:— 0612—2217956
फैक्स:—
0612—2215611 / 2215978
ई-मेल:— ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 26.6.2025

भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ.सुखबीर सिंह संधु एवं डॉ.विवेक जोशी की अध्यक्षता में बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इस प्रक्रिया को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की नौ सदस्यीय टीम को बिहार दौरे हेतु भेजा है।

आज 26.6.2025 को विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 के दृष्टिगत वरिष्ठ उपनिर्वाचन आयुक्त श्री मनीष गर्ग की अध्यक्षता में भारत निर्वाचन आयोग की 09 सदस्यीय टीम द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री विनोद सिंह गुंजियाल एवं उनके कार्यालय के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए उप निर्वाचन आयुक्त श्री मनीष गर्ग ने कहा कि आगामी विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के दृष्टिगत बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का संपादन कराया जाना है। इस संबंध में श्री संजय कुमार, उप निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पॉवरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिशा निर्देश उपस्थित सभी पदाधिकारियों को समझाए गए। इसी क्रम में इस प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई ताकि समय सीमा के अनुरूप सुचारु रूप से पुनरीक्षण कार्यक्रम का संपादन सुनिश्चित किया जा सके।

आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के क्रम में बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य है। आगे ये विशेष गहन पुनरीक्षण अन्य राज्यों में भी किया जायेगा। संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाले भारतीय नागरिक जो पंजीकरण के स्थान के सामान्य निवासी हैं एवं किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य नहीं हैं, वे सभी निर्वाचक बनने की अहर्ता रखते हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 के अंतर्गत BLO के माध्यम से अथवा ऑनलाइन माध्यम से निर्वाचकों को Enumeration Form (गणना फॉर्म) भरने हैं। BLO द्वारा घर घर सत्यापन (House-to-house verification) के समय निर्वाचकों को गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे एवं पावती उपलब्ध कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि अंतिम रूप से निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से गणना फॉर्म उपलब्ध कराने वाले निर्वाचकों का नाम ही प्रारूप प्रकाशन (01.08.2025) में सम्मिलित किया जाएगा।

ऑनलाइन यह सुविधा voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है। जिन मतदाताओं का नाम प्रारूप सूची में नहीं होगा अथवा वे अपनी प्रविष्टि में सुधार करवाना चाहते हैं, वे दावा-आपत्ति की अवधि में आवेदन दे सकते हैं। यह पुनरीक्षण कार्यक्रम लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं नागरिकता नियम, के प्रावधानों के आलोक में निष्पादित किया जाएगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के सफल क्रियान्वयन हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमंडलीय एवं जिला अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के साथ बैठक के उपरांत भारत निर्वाचन आयोग की टीम द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के आलोक में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई।

बैठक में आयोग की टीम द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 से संबंधित सभी निर्देशों, प्रक्रियाओं एवं लक्ष्यों की विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों को घर-घर जाकर पूर्व से भरे फॉर्म वितरित एवं संग्रह करने, मतदान केंद्रों के पुनर्गठन, डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET के प्रभावी उपयोग, सामाजिक रूप से वंचित समूहों को प्राथमिकता देने तथा राजनीतिक दलों एवं मीडिया के सहयोग से जन-जागरूकता अभियान चलाने जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया गया।

बैठक के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की टीम के द्वारा अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एकीकृत ECINet ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इस ऐप में 'बुक ए कॉल विद BLO' का भी फीचर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से मतदाता BLO से सीधा संपर्क करते हुए अपनी विभिन्न पृच्छाओं/शिकायतों का समाधान कर सकते हैं।

पुनरीक्षण कार्य के समयबद्ध एवं सुचारु संचालन हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा स्वयंसेवकों की तैनाती की जा सकती है, ताकि गणना फॉर्म के वितरण एवं संग्रहण से संबंधित कार्यों में सहयोग प्रदान किया जा सके।

आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनज़र, 1200 मतदाताओं प्रति केंद्र के मानक के आधार पर मतदान केंद्रों का पुनर्गठन भी कराया जाना है। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक ही परिवार के सदस्य एक ही मतदान केंद्र पर पंजीकृत हों तथा मतदाताओं को मतदान के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े।

बैठक के दौरान विभिन्न जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा फील्ड स्तर पर प्राप्त अनुभवों के आधार पर कई महत्वपूर्ण सुझाव एवं फीडबैक साझा किए गए, जिन पर आयोग की टीम ने सकारात्मक संवाद स्थापित करते हुए आवश्यक स्पष्टीकरण एवं समाधान प्रदान किए। भारत निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यह पुनरीक्षण अभियान पारदर्शी, समावेशी एवं अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला हो, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्येक पात्र नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में भारत निर्वाचन आयोग की टीम की ओर से उप निर्वाचन आयुक्त श्री भानु प्रकाश येतुरू, उप निर्वाचन आयुक्त श्री संजय कुमार, सलाहकार श्री एन. एन. बुटोलिया, प्रधान सचिव अरविंद आनंद, निदेशक श्रीमती विद्यारानी कौथोजम, निदेशक श्री मनोज सी., सचिव श्री पवन दिवान तथा उप सचिव श्री अभिनव अग्रवाल शामिल हुए।

प्रेस विज्ञप्ति

27.06.2025

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के लिए ईवीएम का प्रथम स्तरीय जांच (FLC) संपन्न

आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन- 2025 के मद्देनजर राज्य में दिनांक 02.05.2025 से संचालित ईवीएम का प्रथम स्तरीय जांच (FLC) का काम दिनांक 25.06.2025 को सभी जिलों में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया।

ईवीएम के FLC एक प्रारंभिक एवं महत्वपूर्ण तकनीकी जांच प्रक्रिया है, जो प्रत्येक निर्वाचनों के पूर्व संपन्न होती है, जिससे ईवीएम की पूर्ण क्रियाशीलता, पारदर्शिता एवं त्रुटिरहित परिचालन सुनिश्चित किया जाता है। यह प्रक्रिया जिला निर्वाचन पदाधिकारी की निगरानी में ईवीएम विनिर्माता के अभियंताओं द्वारा संपादित किया जाता है। इस दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं।

आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन के दौरान उपयोग हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL), हैदराबाद द्वारा विनिर्मित M3 मॉडल ईवीएम उपलब्ध कराया गया है। इन सभी ईवीएम के FLC कार्य के लिए 189 अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति की गई थी।

राज्य में कुल 1,76,506 बैलेट यूनिट (BU), 1,28,726 कंट्रोल यूनिट (CU) एवं 1,36,317 वीवीपैट्स का FLC किया गया, इनमें से 1,54,872 BU, 1,22,337 CU एवं 1,29,948 VVPAT "FLC OK" पाए गए हैं, जबकि 21,634 BU (12.26%), 6,389 CU (4.96%) एवं 6,369 VVPAT (4.67%) "FLC Rejected" घोषित किए गए हैं। FLC OK एवं Rejected मशीनों की जानकारी दैनिक रूप से EMS 2.0 पोर्टल पर अपडेट की गई। FLC पूर्ण होने के उपरांत Rejected मशीनों को 09 जिलों में एकत्र कर मरम्मत हेतु ECIL, हैदराबाद को भेजने की कार्यवाही की जा रही है। सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारियों द्वारा जिलों में FLC के दौरान "सही" पाई गई ईवीएम की सूची EMS 2.0 पोर्टल से डाउनलोड कर उसका प्रिंट सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों के जिला अध्यक्षों/सचिवों को उपलब्ध कराया गया है।

FLC कार्य संचालन अवधि में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय द्वारा राज्य के सभी 12 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्षों/सचिवों को 06-06 बार FLC कार्यक्रम की सूचना दी गई थी तथा उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने जिला स्तरीय प्रतिनिधियों को FLC में भाग लेने हेतु अधिकृत करें। दिनांक 13.05.2025 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री विनोद सिंह गुंजियाल की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें FLC की प्रगति, जिला स्तरीय उपस्थिति रिपोर्ट एवं दलों की भागीदारी की समीक्षा की गई। सभी दलों से 100% भागीदारी का अनुरोध किया गया। FLC कार्य आरंभ होने से पूर्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों/सचिवों को लिखित सूचना दी गई एवं बैठक कर उन्हें FLC प्रक्रिया के बारे में बताया गया। सभी जिलों द्वारा वैसे दलों को जो FLC के दौरान उपस्थित नहीं हो रहे थे, उन्हें समेकित रूप से 200 से अधिक बार FLC कार्य में भागीदारी हेतु पत्र लिखा गया।

राजनीतिक दलों की भागीदारी की स्थिति इस प्रकार है:

भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सीपीआई (एम), सीपीआई (एमएल) एल, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यू.) एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रतिनिधियों की FLC में सक्रिय भागीदारी रही। इनके द्वारा राज्य के अधिकांश जिलों में FLC कार्य में दैनिक रूप से भागीदारी रही। वहीं आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की भागीदारी सीमित रही है। नेशनल पीपुल्स पार्टी द्वारा किसी जिले में FLC कार्य में भाग नहीं लिया गया।

जिलावार उपस्थिति स्थिति:

बेगूसराय, पटना, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, अररिया, भागलपुर, शेखपुरा, समस्तीपुर, खगड़िया, मधुबनी, नवादा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, वैशाली, बक्सर, भोजपुर, कटिहार, औरंगाबाद, रोहतास, मुंगेर, कैमूर, अरवल, जहानाबाद, मधेपुरा, शिवहर एवं जमुई में दलों की उपस्थिति काफी अच्छी रही है। इन 31 जिलों में अधिकांश दलों ने FLC कार्य में भाग लिया।

07 जिलों यथा बांका, दरभंगा, किशनगंज, गयाजी, गोपालगंज, नालंदा एवं सुपौल में कुछ कम दलों की भागीदारी रही है।

सभी दलों ने प्रक्रिया की गुणवत्ता एवं व्यवस्था से प्रसन्नता व्यक्त किया गया।

FLC की निगरानी

भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय द्वारा FLC प्रक्रिया की गहन एवं सतत निगरानी गई। सभी जिलों के FLC की लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से आयोग एवं CEO ऑफिस के स्तर से निगरानी की गई।

इसके अतिरिक्त, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से भी निगरानी की गई। निर्वाचन आयुक्त श्री विवेक जोशी ने पूर्वी चंपारण जिले के FLC का निरीक्षण किया गया। आयोग द्वारा सभी जिलों में FLC प्रक्रिया की जांच हेतु 28 पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई, जिनमें आयोग के वरीय पदाधिकारी एवं अन्य राज्यों के ईवीएम नोडल पदाधिकारी शामिल थे। सभी पदाधिकारियों ने FLC कार्य की व्यवस्था एवं गुणवत्ता की सराहना की गई।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा भी पटना एवं कटिहार जिले के FLC हॉल का निरीक्षण किया गया। साथ ही, कार्यालय के वरीय पदाधिकारियों एवं प्रमंडलीय उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के माध्यम से अलग से राज्यभर में भ्रमण कर सभी जिलों के FLC प्रक्रिया की प्रगति की सतत समीक्षा की गई।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 29 जून 2025

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 की प्रगति - अब तक एक करोड़ से अधिक मतदाताओं को वितरित हो चुके हैं गणना फॉर्म

बिहार में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों के मद्देनज़र भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का कार्य राज्य भर में तीव्र गति से चल रहा है। यह प्रक्रिया 25 जून 2025 से प्रारंभ हुई है, जिसके अंतर्गत मतदान केंद्र पदाधिकारी द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (Enumeration Form) का वितरण किया जा रहा है। अब तक राज्य के विभिन्न जिलों में एक करोड़ से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में बिहार देश का प्रथम ऐसा राज्य है जहां पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।

इस प्रक्रिया के तहत मतदान केंद्र पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें घर-घर जाकर सत्यापन और गणना फॉर्म के वितरण-संकलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतदाताओं तक गणना प्रपत्र को सुलभता से उपलब्ध कराने हेतु तथा निर्वाचन मशीनरी को पूर्ण मनोयोग और मनोबल के साथ इस कार्य में समर्पित बनाए रखने के लिए राज्य के सभी जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी स्वयं फील्ड भ्रमण कर रहे हैं। वे मतदान केंद्र पदाधिकारियों के साथ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण कर रहे हैं एवं उनके कार्यों का निरीक्षण कर अभियान की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में बिहार के सभी राजनीतिक दल सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। अब तक 1.5 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) की नियुक्ति की जा चुकी है जो प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सूची के सत्यापन में लगे हुए हैं। सभी राजनीतिक दल लगातार और अधिक बीएलए नियुक्त कर रहे हैं ताकि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित हो सके।

भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि वे समय रहते प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने बीएलए नियुक्त करें ताकि बाद में मतदाता सूची में त्रुटियों की शिकायत करने की आवश्यकता ही न पड़े। आयोग का स्पष्ट मत है कि सही समय पर सहभागिता से ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रह सकती है।

वर्तमान 7,89,69,844 मतदाताओं में से लगभग 4.96 करोड़ मतदाताओं के नाम पहले से दिनांक 01.01.2003 की अंतिम गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची में शामिल हैं। ऐसे मतदाताओं को केवल अपनी प्रविष्टियों की पुष्टि करनी है और गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है। इसके अतिरिक्त यदि किसी मतदाता के माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति 01.01.2003 तक मतदाता सूची में शामिल रहा है तो ऐसे व्यक्ति को इस विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के दौरान नामांकन के लिए उनसे संबंधित किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी चाहे उस व्यक्ति की जन्मतिथि कुछ भी हो।

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की नियमित गतिविधियों को देखने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के सोशल मीडिया हैंडल्स में भी सभी अपडेट जा रहे हैं।

कार्य को गति देने हेतु सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं, विकास मित्रों, जीविका दीदियों, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र आदि के स्वयंसेवकों की सहायता लें। ये स्वयंसेवक न केवल मतदाताओं को फॉर्म भरने में सहायता करेंगे, बल्कि मतदान केंद्र पदाधिकारियों को वितरण व संग्रहण कार्य में भी सहयोग प्रदान करेंगे।

इसके अतिरिक्त <https://voters.eci.gov.in> पोर्टल के माध्यम से भी मतदाता स्वयं गणना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं।

इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रमुख तिथियाँ इस प्रकार हैं:

घर-घर सर्वेक्षण: 25 जून से 26 जुलाई 2025

प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन: 1 अगस्त 2025

दावा और आपत्ति की अवधि: 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 30 सितंबर 2025

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनोद सिंह गुंजियाल ने प्रत्येक मतदाता से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाएँ। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से आग्रह किया है कि वे समय रहते अपना गणना प्रपत्र भरें, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से सत्यापन सुनिश्चित करें एवं इस ऐतिहासिक पुनरीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बनें। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।